| तारीख हुक्म | उनवान :– धरतीराज बनाम हीरालाल वगै0<br>कि0मु0:– दावा मु0न0 116/2020<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 8/1/26 | पत्रावली पेश हुयी। वकील उभयपक्ष उपस्थिति। पत्रावली आज प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत ऑर्डर 7 रूल 11 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र पर आदेश हेतु नियत है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सी0पी0सी0 को पेश किया जिसमें अंकित किया है कि:–<br>• वादी ने असत्य निराधार एवं फर्जकारी ढंग से वसीयतनामा दिनांक 20.12.2002 को फर्जी अंगूठा निशानी एवं गवाहान के फर्जी हस्ताक्षर कर तैयार कर वादपत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। वादी द्वारा वसीयतनामा फर्जकारी ढंग से तैयार किया है, वादी ने वसीयतनामा दिनांक 20.12.2002 को तहरीर व तकमील किया जाना दर्ज किया है जबकि राजस्व रिकार्ड नामांतकरण संख्या 105 दिनांक 05.03.2003 विरासत का खोला गया था। गोपी के फौत होने के पश्चात खोले गये नामांतकरण संख्या 105 में गोपी फौत के विधिक वारिसान बेवा भूली फौत कल्याण, केसरलाल, हीरालाल, बतासी देवी, कैलाशी और तुलसी के नाम भरा गया है यदि किसी प्रकार का कोई भी वसीयतनामा गोपी द्वारा लिखाया गया होता तो नामांतकरण संख्या 105 दिनांक 05.03.2003 में उसका इंद्राज होता जबकि स्वयं वादी के पिता केसरलाल के नाम भी नामांतकरण बाद जांच वारिसान भरा गया है। वसीयतनामा कतई फर्जकारी ढंग से गोपी की मृत्यु के बाद षडयंत्रपूर्वक जमीन हडपने की नीयत से तैयार किया गया है। वादी का उक्त कृत्य भी आपराधिक श्रेणी का कृत्य है जिसके लिए वादी के विरूद्व पृथक से रिपोर्ट दर्ज करवायी जा रही है। ग्राम पंचायत एण्डवा द्वार भरे गये नामांतकरण संख्या 105 में विरासत का नामांतकरण गोपी फौत की पुत्रियों के नाम भरे जाने की जानकारी होने पर प्रतिवादी संख्या एक ने श्रीमान के न्यायालय में एक अपील मु0न0 3/2003 उनवानी हीरालाल पुत्र कल्याण वगै0 प्रस्तुत की थी कि जिस पर बाद सुनवाई माननीय न्यायालय ने दिनांक 12.04.07 को प्रार्थी/अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाते हुए नामांतकरण संख्या 105 वाके ग्राम एण्डा न्यायहित में खारिज फरमाया था। अपील निर्णय दिनांक 12.04.07 तक भी रेस्पो0 केसरलाल व अन्य ने किसी वसीयत के बारे में कोई तथ्य उजागर नहीं किए। वसीयतनामा कतई फर्जी है। वसीयतनामा दिनांक 20.12.2002 पर वादी ने फर्जी तरीके से अंगूठा निशानी लगाकर तैयार किया है। वादपत्र खारिज होने योग्य है। माननीय न्यायालय की अपील संख्या 3/2003 के निर्णय की रेस्पो0 कल्याण, केसरलाल, बतासी देवी, कैलाशी, तुलसी ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के समक्ष अपील धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपील संख्या 11/07 पेश की, जिसका निर्णय न्यायालय ए0डी0सी0 महोदय द्वारा दिनांक 05.11.07 को करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार सवाई माधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रषित किया कि पक्षकारों को अनुसूचित जनजाति के संबंध में उत्तराधिकार के प्रश्न पर विचार कर पुनः निर्णय पारित करें। उक्त अपील में भी गोपी द्वारा द्वारा वसीयत किए जाने का कोई जिक नहीं होने से वादपत्र खारिज होने योग्य है। न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त भरतपुर के निर्णय दिनांक 05.11.07 को चुनौती देते हुए वादपत्र में प्रतिवादी सं 2,4,5,6 तथा 3 के पति कल्याण द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी एलआर एक्ट 11436/07 पेश की जिसे राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 27.05.2019 को अधिनस्थ न्यायालयों को विधि सम्मत बताते हुए निगरानी याचिका को खारिज फरमाया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश के संबंध में प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 ने नामांतकरण पुनः सुनवायी कर खोले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किये, जिसकी जानकारी होते ही वादी ने | |

जिला कलक्टर सवाई माधोपुर

यह वसीयतनामा फर्जकारी ढंग से तैयार कर माननीय न्यायालय में वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है जबकि वर्ष 2003 से लेकर राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 27.05.2019 तक किसी भी प्रतिवादी ने इस वसीयत का कोई जिक्र नहीं किया है। वसीयनामा फर्जी एवं विधिक प्रावधानों के तहत शून्य होने के कारण वादपत्र चलने योग्य नहीं है। वादपत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है। अन्य उज्रात वरवक्त बहस जुबानी अर्ज किये जायेगे। अतः प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर श्रीमानजी से विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 का प्रा0पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वादपत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमावे।

- उक्त आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का जवाब वादी वकील द्वारा प्रस्तुत किया जिसमें अंकित है कि वसीयतनामा दिनांकित 20.12.02 सही व सत्य है एंव विरासत का गलत रूप से खोला गया नामान्तकरण संख्या 105 गलत है । नामान्तकरण संख्या 105 गुपचुप तरीके से बिना जांच किये खोला गया लिहाजा उसमें वसीयतनामें का हवाला होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि अगर वसीयतनामें के आधार पर नामान्तकरण खोला जाता तो प्राथीगण के नामनामान्तकरण क्यों भरा जाता । वसीयत सही है या गलत यह दावे में तय होना है । आर्डर 7 रूल 11 सी०पी०सी० की दरख्वास्त में दस्तावेज की वैधानिकता को नहीं देखा जा सकता है। दरख्वास्त का मद नं० 2 लाईल्मी होने से अस्वीकार है अगर वादी के हितो के विरूद्ध प्रतिवादीगण ने आपस में कोल्यूजन करके कोई मुकदमा लडा है तो वह वादी के हितों को प्रमाणित नहीं करता । प्रतिवादीगण सभी आपस में मिले हुऐ है लिहाजा पूर्ण ज्ञान होने पर भी वसीयत के तथ्य को छुपाया नहीं जाता । दरख्वास्त का मद नं0 4 लाईल्मी होने से अस्वीकार है। दरख्वास्त का मद नं0 5 लाईल्मी होने से अस्वीकार है । दरख्वास्त का मद नं0 6 लाईल्मी होने से अस्वीकार है समस्त प्रतिवादीगण आपसी कोल्यूजन से हितबद्ध पक्षकार होकर अगर आपस में मुकदमें बाजी करते है तो इससे हमारे हितो पर कोई प्रभाव नहीं पडता हैदरख्वास्त प्रार्थी आर्डर 7 रूल 11 के स्कोप से बाहर है वसीयतनामा को वादी साबित करेगा । वैसे भी वसीयत की वैधानिकता की जांच यह कोर्टनहीं कर सकता यह जांच सिर्फ सिविल कोर्ट ही कर सकते है। अतः जबाब दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि दरख्वास्त प्रार्थी मयखर्चा खारिज फरमाई जावें।
- प्रकरण में उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस सूनी। वकील अप्रार्थी संख्या 1 हीरालाल ने अपनी बहस में बताया है कि वादी द्वारा वसीयतनामा फर्जकारी ढंग से तैयार किया है, वादी ने वसीयतनामा दिनांक 20.12.2002 को तहरीर व तकमील किया जाना दर्ज किया है जबकि राजस्व रिकार्ड नामांतकरण संख्या 105 दिनांक 05.03.2003 विरासत का खोला गया था। गोपी के फौत होने के पश्चात खोले गये नामांतकरण संख्या 105 में गोपी फौत के विधिक वारिसान बेवा भूली फौत कल्याण, केसरलाल, हीरालाल, बतासी देवी, कैलाशी और तुलसी के नाम भरा गया है यदि किसी प्रकार का कोई भी वसीयतनामा गोपी द्वारा लिखाया गया होता तो नामांतकरण संख्या 105 दिनांक 05.03.2003 में उसका इंद्राज होता जबकि स्वयं वादी के पिता केसरलाल के नाम भी नामांतकरण बाद जांच वारिसान भरा गया है। वसीयतनामा कतई फर्जकारी ढंग से गोपी की मृत्यु के बाद षडयंत्रपूर्वक जमीन हडपने की नीयत से तैयार किया गया है। एक अपील मु0न0 3/2003 उनवानी हीरालाल पुत्र कल्याण वगै0 प्रस्तुत की थी कि जिस पर बाद सुनवाई माननीय न्यायालय ने दिनांक 12.04.07 को प्रार्थी/अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाते हुए नामांतकरण संख्या 105 वाके ग्राम

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

एण्डा न्यायहित में खारिज फरमाया था। अपील निर्णय दिनांक 12.04.07 तक भी रेस्पो0 केसरलाल व अन्य ने किसी वसीयत के बारे में कोई तथ्य उजागर नहीं किए। वसीयतनामा कतई फर्जी है। वसीयतनामा दिनांक 20.12.2002 पर वादी ने फर्जी तरीके से अंगूठा निशानी लगाकर तैयार किया है। वादपत्र खारिज होने योग्य है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश के संबंध में प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 ने नामांतकरण पुनः सुनवायी कर खोले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किये, जिसकी जानकारी होते ही वादी ने यह वसीयतनामा फर्जकारी ढंग से तैयार कर माननीय न्यायालय में वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है जबकि वर्ष 2003 से लेकर राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 27.05.2019 तक किसी भी प्रतिवादी ने इस वसीयत का कोई जिक नहीं किया है। वसीयनामा फर्जी एवं विधिक प्रावधानों के तहत शून्य होने के कारण वादपत्र चलने योग्य नहीं है। वादनत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है।

- वकील प्रार्थी धरतीराज ने अपनी बहस में बताया है कि वसीयतनामा दिनांकित 20.12.02 सही व सत्य है एंव विरासत का गलत रूप से खोला गया नामान्तकरण संख्या 105 गलत है । नामान्तकरण संख्या 105 गुपचुप तरीके से बिना जांच किये खोला गया लिहाजा उसमें वसीयतनामें का हवाला होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि अगर वसीयतनामें के आधार पर नामान्तकरण खोला जाता तो प्राथीगण के नामनामान्तकरण क्यों भरा जाता । वसीयत सही है या गलत यह दावे में तय होना है। प्रतिवादीगण सभी आपस में मिले हुऐ है लिहाजा पूर्ण ज्ञान होने पर भी वसीयत के तथ्य को छुपाया नहीं जाता । वैसे भी वसीयत की वैधानिकता की जांच यह कोर्ट नहीं कर सकता यह जांच सिर्फ सिविल कोर्ट ही कर सकते है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 रूल 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावें।

- पत्रावली में उभयपक्ष की बहस का मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया। वादी द्वारा उक्त वाद पत्र गोपी पुत्र राजाराम जाति मीना निवासी ग्राम एण्डा द्वारा की गई वसीयतनामा दिनांक 20.12.02 के आधार पर वादीगण द्वारा खातेदारी अधिकारी लेने बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण मे उक्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में भी ग्राम पंचायत एण्डवा द्वारा भरे गये नामांतकरण संख्या 105 में विरासत का नामांतकरण की अपील इस न्यायालय में एक अपील मु0न0 3/2003 उनवानी हीरालाल पुत्र कल्याण वगै0 प्रस्तुत की थी कि जिस पर बाद सुनवाई इस ने दिनांक 12.04.07 को प्रार्थी/अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाते हुए नामांतकरण संख्या 105 वाके ग्राम एण्डा न्यायहित में खारिज फरमाया था। इस न्यायालय की अपील संख्या 3/2003 के निर्णय को न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के समक्ष अपील धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपील संख्या 11/07 पेश की, जिसका निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.11.07 को करते हुए अपील आंशिक रू॰ से स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार सवाई माधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रषित किया कि पक्षकारों को अनुसूचित जनजाति के संबंध में उत्तराधिकार के प्रश्न पर विचार कर पुनः निर्णय पारित करें। न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त भरतपुर के निर्णय दिनांक 05.11.07 को चुनौती देते हुए न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी एलआर एक्ट 11436/07 पेश की जिसे राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 27.05.2019 को अधिनस्थ न्यायालयों को विधि सम्मत बताते हुए निगरानी याचिका को खारिज किया गया। वादी द्वारा किसी भी न्यायालय में उक्त वसीयत के सम्बन्ध में जिक्र किया जाना प्रतित नही होता है तथा उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में

उप जिला कलक्टर
सवाई माधोपुर

पूर्व में ही आदेश हो रखा है। वादी ने मात्र वसीयत के आधार लेकर यह दावा खातेदारी प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया है जो गलत है। सीपीसी 1908 का अवलोकन किया। सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में उल्लेख किया है कि :– वाद पत्र निम्नलिखित दशाओ में नामंजूर कर दिया जाएगा जो कमशः

1. जहॉ वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है।
2. जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय से नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
3. जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
4. जहॉ वाद–पत्र मे के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।
5. जहॉ यह दो प्रतियों में नही भरा गया है।
6. जहॉ वादी नियम 9 के प्रावधानो की अनुमालना में असफल रहता है।

➢ सीपीसी 1908 के अवलोकन से एवं दोनो पक्षो की बहस सूनने के पश्चात एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 रूल 11 उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य पाया जाता है क्योकि वादी द्वारा जिस वसीयत में जिन खसरा नम्बरान का उल्लेख है उसके सम्बन्ध में पूर्व में सक्षय न्यायालयो द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है तथा वादी ने उन न्यायालयो में उक्त वसीयत का अज्र नही किया गया एवं वसीयत के आधार पर वादी द्वारा खातेदारी प्राप्त करने हेतु यह वाद पत्र पेश किया गया है। वसीयत नामा 10 रूपये के स्टाम्प पत्र पर है तथा वह भी अपंजीकृत दस्तावेज है एवं वसीयत की सत्यता की जॉच करने का अधिकार इस न्यायालय को नही है। सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के बिन्दु संख्या 1 व 4 उक्त प्रार्थना पत्र पर लागू होते है।

➢ अतः अप्रार्थी संख्या 1 हीरालाल का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वंय वहन करे। तद्नानुसार डिकी जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28/1/2026 ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(गौरव कुमार मित्तल)
उप जिला कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
सवाई माधोपुर

# मूल वाद में डिक्री
## ( आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय **उप जिला कलेक्टर** स्थान **सवाई माधोपुर**

धरतीराज पुत्र केसरलाल जाति मीना निवासी एण्डवा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

**बनाम**

1. हीरालाल पुत्रव स्व0 गोपी जाति मीना निवासी एण्डवा तहसील व जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी विज्ञान नगर रणथम्भौर रोड सवाई माधोपुर
2. केसरलाल पुत्र स्व0 गोपी जाति मीना निवासी एण्डवा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3. श्रीमती धापू पत्नी स्व0 कल्याण जाति मीना निवासी एण्डवा तहसील व जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी तेल घर पीछे रेल्वे स्टेशन के पास कोटा
4. श्रीमती कैलाशी पुत्री स्व0 श्री गोपी पत्नी लडडूलाल जाति मीना निवासी सुसराल ग्राम गम्भीरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
5. श्रीमती तुलसी पुत्री स्व0 श्री गोपी पत्नी हरिराम जाति मीना निवासी ससुराल ग्राम गोठडा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
6. श्रीमती बिलासी देवी पुत्री स्व0 गोपी पत्नी स्व0 जगदीश जाति मीना निवासी सुसराल ग्राम खिरनी तहसील मलराना डूंगर जिला सवाई माधोपुर
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर
8. पटवारी हल्का ग्राम एण्डवा तहसील व जिला स0मा0

मु0न0 116 सन् 2020

## वाद पत्र बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 सपठित धारा 92 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

वादी की और से श्री विनोद कुमार अग्रवाल एड0 और प्रतिवादी संख्या 2 की और से श्री श्याम सुन्दर गुप्ता एड0, प्रतिवादी संख्या 1 की और से श्री अभयकुमार गुप्ता एड0

की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 28/1/2026 को श्री गौरव कुमार मित्तल (आर.ए.एस) के समक्ष निपटारें के लिए पेश होने पर आदेश किया गया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि *अप्रार्थी संख्या 1 हीरालाल का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वंय वहन करे।*

इस बाद के खर्चे लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 28/1/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वाद के खर्च

| | वादी | रूपया | पैसे | प्रतिवादी | रूपया | पैसें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वाद पत्र के लिए स्टाम्प | 02 | 00 | शाक्ति पद के लिए स्टाम्प | 04.00 | |
| 2 | शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | 02 | 00 | अर्जी के लिए स्टाम्प | 00.00 | |
| 3 | प्रदेशाके लिए स्टाम्प रू0 पर | 00 | 00 | प्लीडर की फीस | 0.00 | |
| 4 | प्लीडर की फीस | 00 | 00 | साक्षियों के निर्वाह व्यय | 0.00 | |
| 5 | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | 00 | 00 | आदेशिका की तामील | 00.00 | |
| 6 | कमिश्नर की फीस | 00 | 00 | कमिश्नर की फीस | 0.00 | |
| 7 | आदेशिका की तामील | 01 | 00 | | | |
| | जोड | 05.00 | 00 | जोड | 04.00 | |